न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर
बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 102/2022 प्रा.प.
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/147
उनवान

1. श्री देवीलाल पिता स्व. किशना जी बलाई (सालवी) आयु बालिग,
2. श्री धनराज पिता स्व. किशना जी बलाई (सालवी) आयु बालिग,
3. श्रीमती मीना पुत्री किशना पत्नि मोहन जी बलाई (सालवी) आयु बालिग,
4. श्रीमती राधा पुत्री किशना पत्नि शांतीलाल बलाई (सालवी) आयु बालिग,
5. श्रीमती सुरज देवी पुत्री किशना पत्नि गोरधन जी बलाई (सालवी) आयु बालिग,
6. श्रीमती सोहनी पुत्री किशना पत्नि गेबीलाल बलाई (सालवी) आयु बालिग
   निवासी बस्सी सामचोत हाल सालैया तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रामलाल पिता देवकरण बलाई (सालवी) आयु बालिग, निवासी बस्सी सामचोत, तहसील सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 19/05/2026

उपस्थितिः श्री नारायणसिंह चूण्डावत अधिवक्ता–प्रार्थीगण
श्री भगवतीलाल सुथार अधिवक्ता– विपक्षी संख्या 1

प्राथीगण का प्रार्थना पत्र संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्व. पिता किशना पिता कचरा के नाम पर मौजा बस्सी सामचोत पटवार हल्का बस्सी सामचोत तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर में आज से करीब 40–50 वर्ष पूर्व से पुराने आराजी नं. 3346, 3357, 3371 3397, 3398, 3402, 3424, 3429, 3432/5 रकबा 4 बीघा किस्म मंगरी एवं 3346, 3357, 3374, 3397, 3398, 3402, 3424, 3429, 3432/11 रकबा 1) बीघा यानि कि कुल रकबा 5 बीघा के खाता सं. 42 नये, 46 पुराने के रूप में संवत 2039 से 2041 व उससे पूर्व जमाबन्दी में नाम पर खाते दर्ज होने से एवं कब्जे काश्त होने से खाते चली आ रही थी तथा उसके बाद सेटलमेन्ट में सेटलमेन्ट को रिकार्ड रिपिट करने का ही अधिकार था उसके बावजुद उन्होंने कर्मचारियों ने जो अधिकार उन्हें नहीं था उसके बावजुद उन्होंने प्रार्थीगण के पिता के खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि में अपनी मर्जी मुताबिक हेरफेर कर वर्तमान आराजी नं. 5056 रकबा 0.54 हेक्टर ही खाते दर्ज की व शेष भूमि को विपक्षी सं. 1 से मिलीभग के चलते सेटलमेन्ट के कर्मचारियों ने मिलीभगत के चलते प्रार्थीगण ने पिता का मौके पर कब्जा होते हुये जानबुझकर बिलानाम कर दी व उसके बाद नये नम्बर जो मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नये आराजी नं. 5049/0.06, 5050/0.10, 5051/0.02, 5052/0.19, 5053/0.12, 5054/0.10, 5055/0.11 कुल किता 7 रकबा 0.70 हैक्टेयर बने है, उपरोक्त नये नम्बर बिना प्रार्थीगण के स्व. पिता किशना पिता कचरा को खातेदारी भूमि के रकबे में से कमी कर बिलानाम दर्ज कर दी तथा विपक्षी सं. 1 का

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

जानबुझकर कब्जा बता सेटलमेन्ट की पैमाईश के बाद आधार वर्ष के बाद विपक्षी सं. 1 ने जो वर्षों से हल्का पटवारियों के पटवार मण्डल में उनके साथ रहकर उनकी मदद करता आ रहा था जिससे मिलीभगत में चलते जबकि मौके पर कतई उसका कब्जा नहीं होने के बावजुद प्रार्थीगण के वर्षों पूर्व खातेदारी एवं कब्जे काश्त भूमि में अपने नाम पर आवंटन कर अपने खाते करवा दी । प्रार्थी सं. 1 हल्का पटवारी साहब के पास गया व मौके पर मौखिक तौर पर लाया तो उन्होंने बताया कि जहां पर तुम्हारा वर्तमान में कब्जा है वह तो विपक्षी श्री रामलाल के खाते में है उन्होंने कहा कि तुम पुराना राजस्व रिकार्ड निकलवा सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराओ जिस पर आवश्यक राजस्व रिकार्ड प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती व खातेदारी घोषणा आदि का इस प्रार्थना पत्र के साथ हो अलग से प्रस्तुत किया है।

सेटलमेन्ट कर्मचारियों को तीन परिस्थितियों में ही पूर्व के राजस्व रिकार्ड को जैसे कि जैसे ट्रांसफर, एक्सेशन एवं कम्पीटेन्ट कोर्ट के आदेश से ही करने का अधिकार था जबकि तीनों ही स्थितियां मौके पर नहीं थो उसके बावजुद प्रार्थीगण की उक्त भूमि को ही रिपिट करना था परन् सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने विपक्षी सं. 1 से मिलीभगत व सांठगांठ करते प्रार्थी के स्व. पिता किशना पिता कचरा की खातेशुदा भूमि में से रकबा 0.54 हेक्टर को खाते में रख शेष रकबा 0.70 हेक्टर भूमि को बिलानाम करा बाद में विपक्षी सं. 1 जो हल्का पटवारी साहब के वर्षों से सम्पर्क मे हो उनकी सेवा करता आ रहा था जिससे मिलीभगत के, बिना किसी कब्जे के उक्त भूमि अपने नाम खाते करवा ली है, जो गलत करायी है व ऐसे खाते को जरिये ईन्द्राज दुरस्ती के निरस्त किया जा सकता है इसलिये आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र व घोषणा का वाद इस प्रार्थना पत्र के साथ ही अलग से प्रस्तुत किया है।

आराजी नं. 5049 से 5055 तक की कृषि भूमि मौके पर वर्षों से प्रार्थीगण के स्व. पिता के खाते होने से एवं कब्जे काश्त होने से प्रथम दृष्ट्या सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगणों के पक्ष में है एवं वर्तमान में भी वर्षों से खाते होकर मौके पर लगातार कब्जे काश्त प्रार्थीगणों का होने से यदि विपक्षी सं. 1 उस पर जबरन कब्जा कर लेता है तो उसकी क्षति भी विपक्षी के मुकाबले प्रार्थीगणों को ही होगी। अतः प्रार्थीगण की प्रार्थना है कि दौराने मुल वाद विचारण विपक्षी सं. 1 किसी भी रूप में मौझा बस्सी सामचोत पटवार हल्का बस्सी सामचोत तह सलुम्बर की वर्तमान आराजी नं. 5049 से 5055 व 5056 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं न अपने परिजन, नौकर, एजेन्ट के जरिये किसी भी रूप से प्रवेश नहीं करे व कोई भी कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करे व न ही किसी दिगर व्यक्ति के पक्ष में किसी भी रूप में खाते के स्वरूप को बदलने का प्रयास नहीं करे व न ही किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं करे एवं न ही कोई किसी भी प्रकार का कारतामीर नहीं करे के लिये विपक्षी के विरूद्ध एवं प्रार्थीगण के पक्ष में मुल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे।

पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिय नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवातीलाल सुथार हाजिर रहे। विपक्षी ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण का वाद एवं प्रार्थना पत्र पूर्णतः झूठा, मनगढ़ंत एवं तथ्यहीन है तथा केवल प्रतिवादी को परेशान करने एवं उसकी खातेदारी भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से दायर किया गया है। विपक्षी ने अंकित किया कि प्रार्थीगण यह साबित नहीं कर पाए हैं कि विवादित भूमि कब उनके पिता किशना के नाम खातेदारी में दर्ज थी तथा पुराने राजस्व रिकॉर्ड का वर्तमान आराजी नंबरों से कोई स्पष्ट मिलान भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

विपक्षी ने स्वयं को विवादित भूमि का वैध खातेदार बताते हुए कहा कि उक्त भूमि उसे विधिवत सरकारी प्रक्रिया एवं आवंटन के माध्यम से प्राप्त हुई है और वह लगभग 40–46 वर्षो से खातेदार एवं काबिज है। प्रार्थीगण ने अत्यधिक विलंब से वाद प्रस्तुत किया है, जो परिसीमा अधिनियम के तहत अवधिपरे होकर खारिज योग्य है। प्रार्थीगण का वास्तविक कब्जा भूमि पर नहीं है बल्कि वे हाल ही में भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्षी ने अस्थायी निषेधाज्ञा का विरोध करते हुए कहा कि वादीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्ध नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनके पक्ष में किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

विपक्षी ने अपने जवाब के अन्त मे विशेष कथन में अंकित किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अपूर्ण दस्तावेजों तथा झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जिससे उनके दावे को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता। वादीगण ने जानबूझकर आवश्यक पक्षकार शंकरलाल को वाद में शामिल नहीं किया, जबकि वह भी परिवार का सदस्य है, जिससे वाद पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण दोषपूर्ण हो गया है। वाद अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किया गया है तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर नहीं होने के कारण सुनवाई योग्य नहीं है। साथ ही विपक्षी ने आपत्ति उठाई कि वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायालय शुल्क एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तथा अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तत्व जैसे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं की गई है। प्रार्थीगण न्यायालय में स्वच्छ मन से नहीं आए हैं और उन्होंने तथ्यों को तोड़–मरोड़कर प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि उसे विधिवत सरकारी प्रक्रिया एवं कानूनी आवंटन के माध्यम से विपक्षी को प्राप्त हुई है तथा उसकी खातेदारी में किसी प्रकार का अवैध हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अतः न्यायालय से निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए तथा विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जे की विधिसम्मत सुरक्षा की जाए।

प्रार्थीगण ने विपक्षी द्वारा प्रस्तुत विशेष कथन का जवाब देते हुए कहा कि उनका वाद एवं प्रार्थना पत्र पूर्णतः सत्य तथ्यों एवं ठोस दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा वे ही विवादित भूमि पर वास्तविक कब्जाधारी एवं काश्तकार हैं। उन्होंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है और परिवार का सही सजरा प्रस्तुत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके भाई शंकरलाल ने स्वयं वाद में सम्मिलित होने से इंकार किया है, इसलिए उसके पक्षकार नहीं बनने से वाद में किसी प्रकार का कुसंयोजन नहीं होता। प्रार्थीगण ने विपक्षी के इस कथन का भी खंडन किया कि वाद समय सीमा से बाहर है और कहा कि जैसे ही उन्हें पुराने राजस्व रिकॉर्ड एवं गलत इन्द्राज की जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने उचित समय में वाद प्रस्तुत कर दिया। प्रार्थीगण ने निर्धारित न्यायालय शुल्क जमा कर विधिसम्मत रूप से वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है। विपक्षी ने हल्का पटवारी से मिलीभगत कर नक्शे एवं रिकॉर्ड में हेरफेर कर उनकी पैतृक एवं कब्जे की भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के सभी आधार स्पष्ट रूप से वर्णित हैं और वर्तमान में भी भूमि पर उनका ही वास्तविक कब्जा है। अतः विपक्षी द्वारा विशेष कथन में लगाए गए सभी आरोप असत्य, निराधार एवं केवल न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से किए गए हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार एवं विपक्षी की बहस अपने जवाब अनुसार रही।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य स्वामित्व एवं कब्जे का विवाद विचारणीय है, जिसका अंतिम निर्णय साक्ष्य के आधार पर विचारण उपरांत किया जाना शेष है।

प्रथम दृष्टया वाद विचारणीय पाया जाता है तथा यदि वाद के अंतिम निस्तारण तक भूमि की स्थिति परिवर्तित होने दी जाती है तो पक्षकारों को अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। सुविधा का संतुलन भी वर्तमान स्थिति बनाए रखने में प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष वादग्रस्त भूमि आराजी नं. 5049 से 5055 एवं 5056, मौजा बस्सी सामचोत, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर की वर्तमान स्थिति मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत रखे। दोनों पक्षकार बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए भूमि के कब्जे की स्थिति में परिवर्तन नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 19/05/26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर